66

संख्या–560 /XV-2/01(05)/2006(डेरी)

प्रेषक,

दमयन्ती दोहरे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग– 02 **देहरादून, दिनांक 07 जून, 2012**

विषय :– वित्तीय वर्ष 2012–13 में डेरी विकास विभाग को जिला योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, (वित्त) के शासनादेश संख्या 193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30–03–2012 के क्रम में एवं निदेशक, डेरी के पत्र संख्या 301–302/लेखा–प्रस्ताव आयो0एस.सी.एस. पी./2012–13, दिनांक 14–05–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में डेरी विकास विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण हेतु (जिला योजना) में अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ ₹ 20.00 लाख (₹ बीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न जनपदों को उनके सम्मुख अंकित धनराशि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

धनराशि (लाख ₹ में)

क0स0	नाम जनपद	धनराशि
1.	नैनीताल	1.80
2.	ऊधमसिंहनगर	3.23
3.	अल्मोड़ा	1.94
4.	पिथौरागढ़	1.98
5.	बागेश्वर	0.08
6.	चम्पावत	2.83
7.	देहरादून	1.23
8.	पौड़ी	0.70
9.	टिहरी	1.55
10.	चमोली	2.88
11.	उत्तरकाशी	0.70
12.	रूद्रप्रयाग	0.33
13.	हरिद्वार	0.75
	योग :–	20.00

1. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहॉ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। शासन द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।

2. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

–2–

3. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याक्षा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमो एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जायेगा। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा ताकि मासिक आधार पर व्यय की सूचना परिलक्षित होने से अनुपूरक मॉग के समय सही निर्णय लिया जा सके।

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01, (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–01 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों, डी.जी.एस.एन.डी की दरें, टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के दिशा–निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

7. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय।

8. धनराशि का उपयोग उपरान्त कराये गये कार्यो की योजनावार/लाभार्थिवार/ग्रामवार सूची एवं व्यय का विवरण समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

2– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अनुदान संख्या–30 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2404–डेरी विकास–00–आयोजनागत–102–डेरी विकास परियोजनायें–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 91–ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नाम डाला जायेगा।

3–यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012, दिनांक 30–03–2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव।

संख्या : 560 /XV-2/01(05)2006(डेरी) तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डालायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ ऑफिसर–प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,वन एवं ग्राम्य विकास विभाग को अवगत कराने हेतु।
5. निजी सचिव–मंत्री, डेरी विभाग को मा0 मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
6. निदेशक, डेरी विकास विभाग, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. समस्त सहायक निदेशक, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।